प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days "Anti-Human Trafficking"

दिनांक **27-09-2022 से 01-10-2022**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **27-09-2022** से **01-10-2022** तक **"Anti-Human Trafficking"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लेक्चर थियेटर में आयोजित किया गया। श्री नवज्योति गोगाई, महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक राजस्थान जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से **30** प्रतिभागियों जिसमें 01 पुलिस उप अधीक्षक, 06 पुलिस निरीक्षक एवं 23 उप निरीक्षक पुलिस ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:15 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर0एस0 शर्मा, (सेवानिवृत्त) अतिरिक्त निदेशक, एफ0एस0एल0 राजस्थान जयपुर ने मानव तस्करी के मामलों में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका, अवैध व्यापार द्वारा अपनाए गए तरीके, अवैध व्यापार करने वालों की पहचान करने के लिए शारीरिक भाषा एवं मानव तस्करी के मामलों को सुलझाने में वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तकनीक के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तृतीय सत्र में श्री मनोज कुमार, साइबर विशेषज्ञ ने गुमशुदा बच्चों सहित मानव तस्करी के मामलों की जांच में साइबर तकनीक का प्रयोग और आईटी अधिनियम के प्रावधान पर व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री एम.एम.अत्रे,आईजीपी (सेवानिवृत्त) राज. पुलिस जयपुर ने एक संगठित अपराध के रूप में मानव तस्करी की अवधारणा तस्करी के बीच अंतर. प्रवास और तस्करी एवं जांच तकनीक: केस स्टडी के साथ व्यावसायिक यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के लिए तस्करी के बारे में समझाया। तृतीय सत्र में श्रीमती हेमलता शर्मा सलाहकार, चिल्ड्रेन होम ने बाल श्रम और मानव तस्करी विरोधी के बारे में बताया। चतर्थु सत्र में श्री जगदीश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने मानव तस्करी के मामलों के पीड़ितों-साक्षियों को सुरक्षा और सहायता के बारे में बताया।

तृतीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री जी एल शर्मा, आईजीपी (सेवानिवृत्त) ने मानव तस्करी की अवधारणा, प्रोफाइलिंग और वेश्यालयों से मानव तस्करी के पीड़ितों के छापे और बचाव के लिए केस स्टडी और पीड़ितों की काउंसलिंग के साथ प्रक्रियाएं एवं NHRC दिशानिर्देशों सहित महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए पुलिस प्रतिक्रिया में क्या करें और क्या न करें के बारे में बताया। तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में श्री रमेश पालीवाल के द्वारा टाबर का भ्रमण (बाल गृह) करवाया गया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ, आरपीए, जयपुर ने बाल अधिकार और बाल संरक्षण मुद्दे के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री। विजेन्द्र सिंह,पूर्व सदस्य, आरएससीपीसीआर,उप. निदेशक, सी.सी.पी.,एसपीयूपी, जयपुर ने बाल संरक्षण और पुनर्वास के साथ बाल यौन शोषण में पुलिस की भूमिका के बारे में बताया। तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में श्री अमर सिंह, एडवोकेट राज. उच्च न्यायालय और भारत सरकार के विशेष पीपी ने मानव तस्करी पर और उससे संबंधित कानून। **I.P.C., ITPA** 1956, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम एवं जेजे एक्ट 2000, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताया।

पंचम दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती देवयानी भाटी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने बाल हितैषी पुलिसिंग और न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ, आरपीए जयपुर ने मानव तस्करी के मामलों की जांच। प्राथमिकी, तलाशी जब्ती गिरफ्तारी चार्जशीट जमा करना और व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के जांच अपराधों पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रस्तुत करना के बारे में बताया। कोर्स के समापन में श्री हेमन्त प्रियदर्शी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक